राष्ट्रीय
आक्रोश

आखिर उनका क्या दोष, जो खु

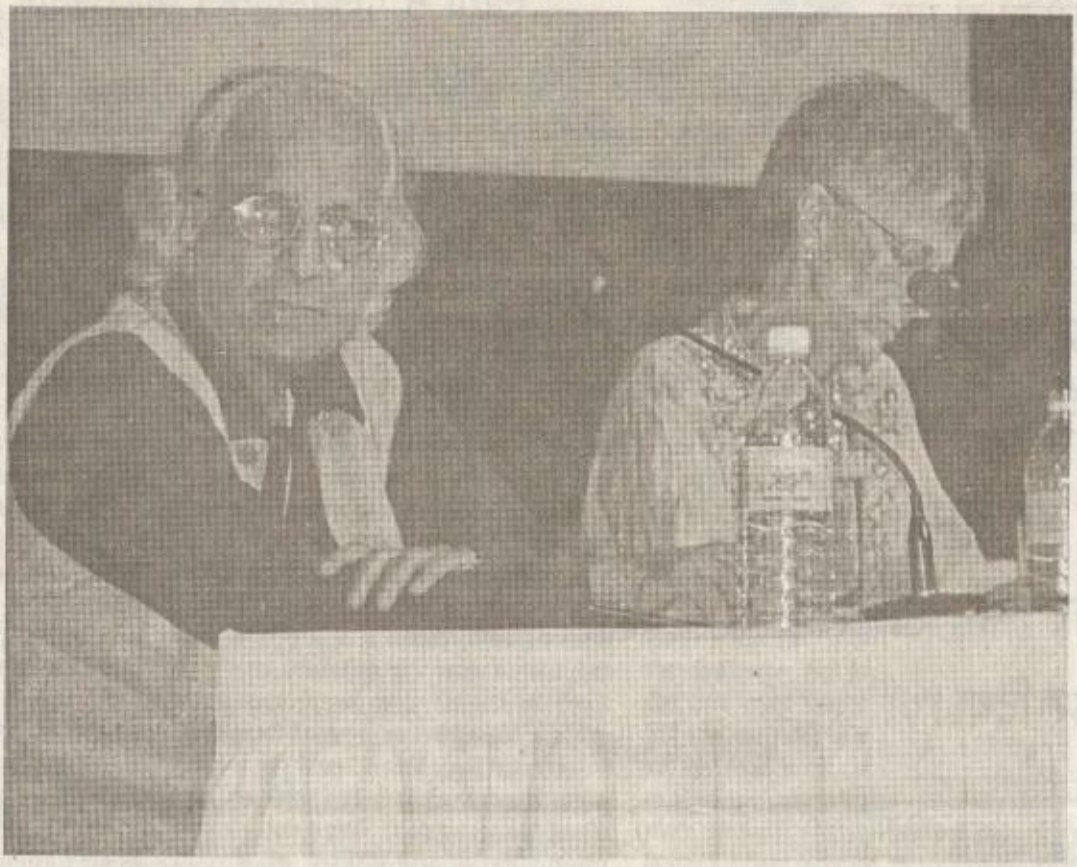

नई दिल्ली, राष्ट्रीय आक्रोश ब्यूरो। ऑटिज्म के शिकार होनहारों के लिए संस्था चलाने वाली और स्वयं एक ऑटिज्म के शिकार बच्चे की मां देहरादून में लतिका रॉय संस्था का संचालन करने के साथ ही मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत जो. चोपड़ा मेकगॉन ने इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित एक सेमिनार में यह सवाल उठाया कि उन बच्चों का क्या दोष है, जो इस दुनिया में आकर भी अपने अधिकार के बारे में लंबे समय तक नहीं जान पाते हैं। सेमिनार का विषय ही उन बच्चों के अधिकार को समर्पित था और इसमें उन माता-पिता की जिम्मेदारी भी तय करने की कोशिश की गयी थी कि यदि उनका बच्चा इस दुनिया में किसी मामले में विकलांगता का शिकार है तो वे कतई परिपूर्ण नहीं हो सकते।

सुश्री चोपड़ा ने कहा कि विकलांग बच्चे को इस धरती पर आने का उतना सशर्त अधिकार है जितना कि आम बच्चों को। हालांकि इस मामले में भारत सरकार का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत में ऐसे बच्चों के जन्म से पूर्व उसे गर्भपात के जरिये समाप्त कर देने का प्रावधान है। यदि केवल परिपूर्ण बच्चों के ही जन्म लेने का अधिकार है तो फिर यह कौन निर्धारित करेगा कि परिपूर्ण कौन है और इसकी परिभाषा क्या है? उनका कहना था कि इस विषय पर कभी भी खुले मंच से चर्चा परिचर्चा और गोष्ठियां नहीं होती। भारत सरकार जिन प्रावधानों के तहत ऐसे नवागंतुकों को धरती पर आने

द को ही नहीं पहचानते!

और शिक्षा प्रशिक्षण च
इंतजाम कर पाई है?

उनका कहना था कि ए
तो समाज ऐसे बच्चों से द
रहना चाहता है दूसरे हम
परिवार भी इसे आसानी
नहीं पचा पाता। कहना
होगा कि सरकार का रवै
भी समाज के मुफीद लग
है। लेकिन यह तो प्राकृति
सिद्धांत की भी अवहेल
कही जाएगी। जो का मान
था कि प्राकृतिक नियमों
तहत उन कथित विकल
बच्चों को भी संसाधन के
पर वही सुविधाएं मिल
चाहिए जो किसी साम
को मिलती है। यदि ऐसा न
होता है तो इसे समाज
कमी मानने में कोई बु
नहीं है। हमें उनके लिए द
करना होगा जिसके f
कोई भी नहीं सोचता।

परिचर्चा के बाद
उपस्थित श्रोताओं जो
ज्यादातर भुक्तभोगी ही थे
अपने अपने विचार
किये। ज्यादातर लोगों
कहना था कि बच्चे क
प्राकृतिक अधिकार बनत
कि वह इस धरती पर वैसे
आए जैसे अन्य आते हैं,
हमें उस समाज
अवधारणा को बदलने
लिए कुछ अभियान च
होंगे।

एक्शन फॉर ऑ
संस्था की संचालिका
बरूआ ने कहा कि उन
के खिलाफ न केवल उ
परिवार होता है बल्कि स
और सरकार सभी
निजात पाना चाहते हैं।
में इनके अधिकारों की ल
लड़ने की जरूरत है।
भी सामाजिक अधिका
जीने का अधिकार है।
सब उन्हें मिलने चाहिए
अन्य लोगों को मिलते
परिवार से लेकर समाज
हमें यह संदेश देना होग
बच्चे को जन्म देने वाले
पहले उसकी अहमियत
और उसके अधिकार
स्थापित करने के लिए
करें।

वजह जो भी आज
के हर वर्ग को इसे सहज
नि:संकोच स्वीकार
चाहिए। तभी इनका
संभव हो सकता है।

और शिक्षा प्रशिक्षण का इंतजाम कर पाई है?

उनका कहना था कि एक तो समाज ऐसे बच्चों से दूर रहना चाहता है दूसरे हमारा परिवार भी इसे आसानी से नहीं पचा पाता। कहना न होगा कि सरकार का रवैया भी समाज के मुफीद लगता है। लेकिन यह तो प्राकृतिक सिद्धांत की भी अवहेलना कही जाएगी। जो का मानना था कि प्राकृतिक नियमों के तहत उन कथित विकलांग बच्चों को भी संसाधन के स्तर पर वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो किसी सामान्य को मिलती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसे समाज की कमी मानने में कोई बुराई नहीं है। हमें उनके लिए कुछ करना होगा जिसके लिए कोई भी नहीं सोचता।

परिचर्चा के बाद वहां उपस्थित श्रोताओं जो कि ज्यादातर भुक्तभोगी ही थे, ने अपने अपने विचार व्यक्त किये। ज्यादातर लोगों का कहना था कि बच्चे का तो प्राकृतिक अधिकार बनता है कि वह इस धरती पर वैसे ही आए जैसे अन्य आते हैं, फिर हमें उस समाज की अवधारणा को बदलने के लिए कुछ अभियान चलाने होंगे।

एक्शन फॉर ऑटिज्म संस्था की संचालिका मैरी बरूआ ने कहा कि उन बच्चों के खिलाफ न केवल उसका परिवार होता है बल्कि समाज और सरकार सभी उससे निजात पाना चाहते हैं। ऐसे में इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इनके भी सामाजिक अधिकार हैं, जीने का अधिकार है। वह सब उन्हें मिलने चाहिए। जैसे अन्य लोगों को मिलते हैं। परिवार से लेकर समाज तक हमें यह संदेश देना होगा कि बच्चे को जन्म देने वाले सबसे पहले उसकी अहमियत समझें और उसके अधिकार को स्थापित करने के लिए कार्य करें।

वजह जो भी आज समाज के हर वर्ग को इसे सहजता से निःसंकोच स्वीकार करना चाहिए। तभी इनका उत्थान संभव हो सकता है।